

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

सं०सं-02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान-14-21/18

शुद्धि पत्र

उद्योग विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-4418, दिनांक-10.12.2018 की कंडिका-03 में उल्लेखित "विपत्र कोड-23-2852.80.102.0163.27" को निम्नप्रकार से संशोधित की जाती है, तदनुसार इसे इसप्रकार पढ़ा जाय:-

"विपत्र कोड-23-2852.80.102.0163 "

2. स्वीकृत्यादेश की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान-14-21/18

प्रतिलिपि-स्वीकृत्यादेश संख्या-4418, दिनांक-10.12.2018 की छायाप्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान-14-21/18

प्रतिलिपि:- स्वीकृत्यादेश संख्या-4418, दिनांक-10.12.2018 की छायाप्रति के साथ सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक...14.12.2018

ज्ञापांक...4569...../

02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान-14-21/18

प्रतिलिपि- स्वीकृत्यादेश संख्या-4418, दिनांक-10.12.2018 की छायाप्रति के साथ वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/आधारभूत संरचना विकास प्रधिकार (आयडा), पटना/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-3(उ०नि०)/प्रशाखा-2 (उ०नि०)/प्रशाखा-1 योजना (स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, बेला, फेज-1 प्लॉट पर प्रशिक्षण केन्द्र (छात्रावास सहित) भवन निर्माण हेतु कुल ₹700.00 लाख (सात करोड़) मात्र के अनुमानित लागत की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-23.11.2018 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णय पर माननीय मंत्री उद्योग विभाग का अनुमोदन सं०सं०-02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान-14-21/18 के पृष्ठ सं०-06/टि० पर प्राप्त होने के उपरांत ज्ञापांक-88/DI, दिनांक-26.11.2018 द्वारा निर्गत कार्यवाही के आलोक में औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, बेला, फेज-1 प्लॉट के 1/2 एकड़ जमीन पर प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना द्वारा तैयार पी०पी०आर० एवं नक्शा के अनुसार कुल ₹700.00 लाख (सात करोड़) मात्र के अनुमानित लागत की योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण का कार्य आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना द्वारा कराया जाएगा एवं राशि के व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

3. उक्त राशि का व्यय वहन वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यशीर्ष-2852 उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80 सामान्य, लघु शीर्ष-102 औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-0163, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख-रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, माँग सं०-23, विपत्र कोड-23-2852.80.102.0163, अन्तर्गत विषय शीर्ष-0163.27.01 लघु कार्य मद में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसके लिए एथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध हैं।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा योजना के नोडल पदाधिकारी प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना होंगे।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे।

6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बी०टी०सी० फार्म सं०-46, पर होगी तथा इस राशि की निकासी कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना के पी०एल० खाता सं०-268, में उपलब्ध कराई जाएगी। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक-8244, दिनांक-02.08.10 एवं पत्रांक-500, दिनांक-18.01.11 में निहित अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से माननीय मंत्री की स्वीकृति संचिका सं०-02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान-14-21/18 के पृष्ठ-06/टि० पर प्राप्त है।

8. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं०सं०-02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान-14-21/18, के पृष्ठ सं०-09/टि० पर प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय पत्रांक:-7355/वि0(2), दिनांक:-05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ज्ञापांक.....4418...../
02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान-14-21/18

प्रतिलिपि.-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक...10.12.18

ज्ञापांक.....4418...../
02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान-14-21/18

प्रतिलिपि:-सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक...10.12.18

ज्ञापांक.....4418...../
02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान-14-21/18

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-3(उ०नि०)/प्रशाखा-2 (उ०नि०)/प्रशाखा-1 योजना (स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक...10.12.18

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।